म.प्र. के प्रवासी श्रमिकों को सर्वे एवं पंजीयन
(निर्माण श्रमिक /असंगठित श्रमिक)
www.sambal.mp.gov.in

1. श्रमिक की समग्र आईडी									

2.प्रवासी श्रमिक का नाम: _

3.जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY):	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	4.लिंग	F	M

5. निवास का पता _

6.श्रमिक के पिता / पति का नाम _

7. श्रमिक का आधार नम्बर*												
8. श्रमिक का मोबाईल नम्बर*											X	X

9.प्रदेश के बाहर नियोजन का राज्य _____ 10. प्रदेश के बाहर नियोजन का जिला _____

11. गृह जिले में नियोजित स्थान से वापिस आने की दिनांक DD/MM/YYYY			/			/			

12. a. क्या भवन अथवा निर्माण से जुड़े श्रमिक हैं? b. यदि हॉ, तो कार्य का स्वरूप (परिशिष्ट-1 देखें) ----------	हाँ	नहीं
13. a. क्या संगठित अथवा असंगठित श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत हैं ? b. यदि हॉ, तो कार्य का स्वरूप (परिशिष्ट- 2 देखें) ----------	हाँ	नहीं

13. c यदि,कारखाने / उध्योग / फ़ैक्टरी में कार्यरत थे तो विवरण लिखें : टेक्सटाइल / फार्मा (दवाई) /आटोमोबाइल/ प्लास्टिक फ़ैक्टरी / केमिकल फ़ैक्टरी / कंजूमर गूड्स फ़ैक्टरी / गारमेंट फ़ैक्टरी / उपकरण /पार्ट्स फ़ैक्टरी / अन्य

14. ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत श्रमिक पास मनरेगा जॉब कार्ड है, यदि हॉ तो मनरेगा जॉब कार्ड नंबर																									

यदि नहीं है तो क्या श्रमिक मनरेगा जॉब कार्ड बनवाना चाहता है	हाँ	नहीं

15. स्वयं का बैंक खाता न.																									
16 बैंक शाखा का आईएफएस कोड़															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

17. प्रवासी श्रमिकों के साथ वापिस आये परिवार के अन्य सदस्यों की 9 अंको की समग्र आईडी, नाम

समग्र आईडी									नाम

Sambal Portal

असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक द्वारा घोषणा

मै घोषणा करता / करती हूँ कि :

(i) मैं असंगठित क्षेत्र में नियोजित हूँ तथा म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीयन की पात्रता रखता / रखती हूँ.

(ii) मैं किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्य निधि आदि प्राप्त हो रहे हों.

(iii) मैं आयकर दाता नहीं हूँ. (iv) मेरे पास एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है .

भवन एवं अन्य संनिर्माण से संबंधित प्रवासी श्रमिकों द्वारा घोषणा

मै घोषणा करता / करती हूँ कि :-

☑ मेरे द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में 90 दिवस से अधिक कार्य किया गया है।

(प्रवासी श्रमिक आवेदक के हस्ताक्षर)